



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (40) आकाश / नि.सं./ 2023-2024/60

दिनांक - 16-10-2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक यम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राजा सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2023-2024 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/ विषयों में अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/ विषय
Deepak choudhary	GOVERNMENT COLLEGE Kotputali	University of Rajasthan, Jaipur	Arts - English (SFS), Geography (SFS), Home Sc. (SFS), Drawing & Painting, Political Science, Public Administration, Hindi

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित नियमानुसार स्थायी अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता अधिकृत अधिकारी द्वारा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संख्या संबंधित विद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बसे मान्यता व विश्वविद्यालय से समझौता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संख्या महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु पूजीसी सामग्री प्राचार्य एवं व्याख्यान मानदण्डानुसार कि स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों को चलना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जानी होने वाली नीतियों का पालन करना
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर DCF-II (Data Capture format-ii) भरवार अपलोड करना अनिवार्य होगा प्रमाण-पत्र की कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर पाली।
5. कुल शहिद जय नारायणालय, जोधपुर।
6. सचिव सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सध्या आयुक्तालय शिक्षा राजस्थान जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर